न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/124

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोहनी देवी पुत्री डायाराम जाति सीरवी निवासी बेरा गंगाजल रामपुरा हाल निवासी बासनी (जोजावर) 2. पानी पुत्री डायाराम जाति सीरवी निवासी गंगाजल रामपुरा हाल निवासी धनला 3. भंवरी पुत्री डायाराम जाति सीरवी निवासी रामपुरा (जोजावर) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. अमराराम पुत्र डायाराम जाति सीरवी निवासी बेरा गंगाजल रामपुरा (जोजावर) 2. चुन्नीलाल पुत्र डायाराम जाति सीरवी निवासी बेरा गंगाजल रामपुरा (जोजावर) 3. धनीबाई पत्नी डायाराम जाति सीरवी निवासी बेरा गंगाजल रामपुरा (जोजावर) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 4. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/12/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम जोजावर के नामान्तरकरण संख्या 1519 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.07.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी की पैरोकार की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मानी पटवार हल्का गुडा केसरसिंह एवं ग्राम रामपुरा पटवार हल्का जोजावर में अपीलाण्ट के पिता डायाराम की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 362, 363, 364, 365 तथा 4991/784, 4992/784, 5020/786, 783 आई हुई है। डायाराम की पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या 3, पुत्र रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

संख्या 1 व 2 तथा अपीलाण्ट पुत्रीयां है। डायाराम के फौत होने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट का नाम जैर आराजी में दर्ज ही नहीं किया गया। डायाराम की ग्राम मानी में स्थित खातेदारी भूमि में तो डायाराम के समस्त वारिसानों का नाम दर्ज किया गया जबकि ग्राम जोजावर की भूमि में फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये केवल पुत्र एवं पत्नी का नाम ही दर्ज किया गया। डायाराम के फौत हो जाने के पश्चात् उनके वारिसानों की जांच किये बगैर विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। मातहत अदालत ने प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाधीन आदेश जारी किया, इसलिये जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रवाली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम जोजावर के नामान्तरकरण सख्या 1519 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.07.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा, 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का डायाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पति डायाराम की ग्राम मानी एवं ग्राम रामपुरा में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 362, 363, 364, 365 तथा 4991/784, 4992/784, 5020/786, 783 है। डायाराम फौत हो जाने पर ग्राम मानी में समस्त वारिसानो तथा ग्राम रामपुरा में नामान्तरकरण केवल पुत्र एवं पत्नी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम मानी पटवार हल्का गुड़ाकेसरसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि खसरा संख्या 362, 363, 364 एवं 365 की भूमि में डायाराम के वारिसान के रूप में अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज है जबकि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खसरा संख्या 4991/784, 4992/784, 5020/786 एवं 783 में डायाराम के वारिसान के रूप में केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 का नाम ही दर्ज है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स जो कि मृतक डायाराम की पुत्रीयां है, उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 1519 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट, मृतक डायाराम की पुत्रीया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक डायाराम की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम जोजावर के नामान्तरकरण संख्या 1519 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.07.1992 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली